FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त अदालत :– अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

ण्ट् :– बनाम रेस्पोडेण्ट्स

. भीकसिंह पुत्र मोटसिंह
2. मृतक पुनमसिंह पुत्र मोटसिंह के का.मु.
   2.1. श्रीमती जतना बेवा पुनमसिंह
   2.2. बाबुसिंह पुत्र पुनमसिंह
   2.3 प्रकाशसिंह पुत्र पुनमसिंह
   2.4 सोहनसिंह पुत्र पुनमसिंह
   2.5 पानी कंवर पुत्री पुनमसिंह पत्नी पुखसिंह
   2.6. मृतक रुपसिंह पुत्र पुनमसिंह के कायम मुकामः–
      2.6.1 भरतसिंह
      2.6.2 जितेन्द्रसिंह
      2.6.3 क्षेत्रपालसिंह
      2.6.4 सुगना कंवर बेवा रुपसिंह
   2.6.4 मृतक गंगा पुत्री पुनमसिंह पत्नी भंवरसिंह के कायम मुकामः–
      अ. देवीसिंह
      ब. सरोज
      स.संगीता
      द. कंचन
      य. कोमल पुत्रीगण गंगा पुत्री पुनमसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण पातावा तहसील बाली, जिला पाली, राज.

बनाम

1. मृतक मालमसिंह जाति पुरोहित के का.मु.
   1.1 मृतक सुरजसिंह पुत्र मालमसिंह के लाऔलाद, लावारिशान्
   1.2 मृतक भुरसिंह पुत्र मालमसिंह लाऔलाद, लावारिशन
2. मृतक शम्भुसिंह पुत्र मालमसिंह के का.मु.
   2.1 मृतक हिम्मतसिंह पुत्र शंभुसिंह के का.मु.
   2.2. खेतसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पातावा तह. बाली जिला पाली राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली, जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : राजस्व अपील संख्या : 35 /2025

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025/150)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहक जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु
08-2025	अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर विरुद्ध आदेश दिनांक 25.02.1977 मिसल न. 55/77, हिम्मतसिंह बनाम पुनमसिंह व भीकसिंह सहायक भू–प्रबंधक एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी जोधपुर कैम्प बाली में गत खसरा नम्बर 59 व 60 में से पुनमसिंह व भीकसिंह का हिस्सा निकाला जिसे निरस्त करने एवं आदेश दिनांक 25.02.1977 को निरस्त करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में पुनः संशोधित करने बाबत प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः अपील **Subject to limitation** दर्ज रजिस्टर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब हो। रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 24.09.2025 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	1018 20/08/25 सम्मन जारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24/09/25	बकुलाय उप.आज पीठासीन अधिकारी अवकाश...... में पधारे है। पत्रावली दिनांक..07/10/25 को पेश हो। रेस्पो संख्या 2/2 की ओर से श्री अमृत परिहार ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया ललितकुमार
07/10/25	बकुलाय उप.आज पीठासीन अधिकारी गारगाड़ प्रशासन में पधारे है। पत्रावली दिनांक..17/10/25 को पेश हो।
17/10/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप.। रेस्पो. संख्या 03 का सम्मन बाद तामील प्राप्त, शामिल मिसल हो। मूल रिकॉर्ड तलब करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली आइन्दा दिनांक 17/11/2025 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली
17/11/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप. साबिक आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड की तलबी हेतु तहरीर आज ही जारी हो। पत्रावली वास्ते मूल रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 10/12/25 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली
10/12/25	बकुलाय उप.आज पीठासीन अधिकारी D.M.sir के साथ 2013 कपूर महोत्सव मीटिंग में पधारे है। पत्रावली दिनांक 02/01/26 को पेश हो।
02/01/26	पत्रावली पेश हुई। साबिक आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड अप्राप्त, मूल रिकॉर्ड इन्तजार हो। फाइल में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा शेष रेस्पो. की नल वीटे नल वाना मय PF/सम्मन मसकर पेश करें। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा शेष रेस्पो. की नल वी हेतु PF/सम्मन पेश करने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 28/01/2026 को पेश पुनश्च: [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
काबिल अधिवक्ता बसराज रेस्पो. संख्या 4 ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत अपील के जरिए अपीलार्थी ने सहायक भू-प्रबन्ध एवं भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 25-102/1977 को चुनौति पेश की है एवं विधिक प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त उनवान की अपील को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, जिससे उक्त अपील को अस्वीकार कर लौटाया जाना न्यायोचित है अधिवक्ता उत्तरपक्ष की सहमति पर उक्त प्रार्थनापत्र एवं क्षेत्राधिकार सम्बन्धि बिन्दु पर बहस सुनने का निश्चय किया गया। काबिल अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस निवेदन किया कि प्रकरण भू-अभिलेख से सम्बन्धित है तथा अपील प्रश्नगत आदेश सहायक भू-अभिलेख अधिकारी का है जो Land Record Officer (Collector) के अधीनस्थ है। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(D) सपठित धारा 24(ix) के प्रावधानान्तर्गत न्यायालय हाजा इस अपील को निर्णीत करने हेतु सक्षम है अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि सेटलमेन्ट कार्यवाही की समाप्ति उपरान्त सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अधिनियम 1956 की धारा 181 के प्रावधानान्तर्गत कलेक्टर को अपील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जाज

सृजन हेतु अधिकृत किया गया है, अतः रेफरेन्स द्वारा प्रस्तुत क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आपत्ति सारहीन होने से खारिज फरमावें।
काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2009(1) RRT 189 प्रस्तुत किया गया।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा उपरोक्त तर्कों का प्रतिकार करते हुए यह तर्क पेश किया कि यह अपील प्रश्नगत आदेश भू प्रबन्ध संक्रिया के दौरान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील का क्षेत्राधिकार सेटलमेंट ऑफिसर को प्राप्त है, जैसा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(c) में उपबन्धित है तथा यह भी कि धारा 181 सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान लम्बित कार्यवाहियों की सुनवाई हेतु भू अभिलेख अधिकारी या कलेक्टर को अधिकृत करती है, जबकि हस्तगत प्रकरण में लम्बित कार्यवाही नहीं होकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण 55/77 में पारित आदेश दिनांक 25/02/1977 को चुनौती दी गई है, अतः धारा 181 के प्रावधानों में यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर को transfer नहीं हो सकती। अतः क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु पुनः लौटाई जावे।
काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा अपने तर्कों

(P.T.O)

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें

के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए:-

(1) 1977 RRD NUC 14

(2) 2016(1) RRT 151

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलान्ट द्वारा विवादाधीन अपील के माध्यम जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वो आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान निगरानी प्रकरण संख्या 55/77 में दिनांक 25/02/1977 को पारित किया गया था। प्रश्न यह है कि "क्या सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान पारित आदेश के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 181 के उपबन्धानुसार जिला कलेक्टर न्यायालय में अपील हस्तान्तरित होकर सुनवाई की जा सकती है अथवा नहीं?"

उक्त धारा 181 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त प्रावधान सेटलमेन्ट कार्यवाही की समाप्ति (धारा 142) उपरान्त भू प्रबन्ध अधिकारी (Settlement Officer) के समक्ष लम्बित आवेदनों तथा कार्यवाहियों को कलेक्टर को स्थानान्तरित होने का उपबन्ध करता है जबकि विचाराधीन अपील के अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सीधे ही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	जिला कलेक्टर न्यायालय में पेश की गई है अर्थात् हस्तगत प्रकरण में भू प्रब. कार्यवाही समाप्त होने के समय कोई कार्यवाही (Proceeding) लम्बित नहीं। और इस कारण धारा 181 के प्रावधा- नुसार यह न्यायालय भू प्रबंध संक्रिया के दौरान पूर्व निर्णीत प्रकरण के विरु अपील सुनने हेतु सक्षम नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2009 (1) RRT 189 में उल्लेखित प्रकरण में भी प्रार्थी द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध भू प्रबंध अधिका (Settlement Officer) के समक्ष अपील पेश की गई थी, जो सेटलमेंट कार्य समाप्त होने के समय लम्बित थी तथा धारा 181 के प्रावधानानुसार उक्त अपील जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा निर्णीत की गई थी। अतः अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि हस्तगत अपील सुनने का इस न्याया. को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा बहस के दौरान

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
	न्यायिक दृष्टान्त RRD 1977 NUC 31 इस प्रकरण पर पूर्णतः लागू होता है जहाँ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा भी, धारा 181 के सीमित अर्थ को सम्मिलित कार्यवाहियों के परिप्रेक्ष्य में ही उपयोग हेतु अवधारित पाया है। अतः अधिवक्ता प्रत्यर्थी [illegible] 2/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील को क्षेत्राधिकार बाधित होने से सक्षम न्यायालय में अपीलार्थी को पुनः प्रस्तुत करने हेतु अपील लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। [illegible] अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	

Scanned with OKEN Scanner